राजस्थान सरकार
कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान
स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम जयपुर

क्रमांक– एच/एफएसएसए/एफ–92/2015/ 360 **दिनांकः–** 4/5/15

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं
   सयुंक्त निदेशक, (ग्रा0स्वा0)
   मुख्यालय।

2. समस्त अभिहित अधिकारी,
   एवं उप निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–राजस्थान

3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   राजस्थान।

विषयः– मौसम परिवर्तन एवं ग्रीष्म ऋतु में पेय पदार्थ /खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अकुंश लगाने हेतु दिनांक 11.05.2015 से 25.05.2015 तक विशेष अभियान चलाने बाबत्।

विषयान्तर्गत मौसम परिवर्तन एवं ग्रीष्म ऋतु में आईसक्रीम, आईसकेन्डी, स्वीटेन्ड कार्बोनेटेडवाटर, दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य एवं पेय पदार्थ, शर्बत, लस्सी व शीतल पेय पदार्थ आदि की खपत में वृद्धि के कारण व्यापारियों द्वारा मिलावटी, दूषित व सडे–गले फल व खाद्य पदार्थों की बिक्री बाजार में किये जाने की सम्भावना को रोकने तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी अंकुश/नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा **दिनांक 11.05.2015 से 25.05.2015 तक विशेष अभियान** चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः चलाये जाने वाले इस अभियान के तहत आप एक संयुक्त दल का तत्काल गठन करें तथा गठित दल का पूर्ण विवरण (मय नाम व पद) से निदेशालय को आज ही अगवत कराना सुनिश्चित करें। जिसमें एक विभागीय अधिकारी आपके अधीन कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हो इस दल के लिये एक वाहन की व्यवस्था मय वाहन चालक के आवश्यकरूप से करें, क्योंकि पूर्व में यह देखने में आया है कि वाहन की अनुपलब्धता के कारण अभियान चलाये जाने का महत्व/औचित्य कम हो जाता है तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सभी अभिहित अधिकारी अपने स्तर पर भी यह सुनिश्चित करेगें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति की जावें। विशेष अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नमूनीकरण कार्यवाही हेतु सभी अभिहित अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्लिप व अन्य सामग्री आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायी जावे। जिस दल में 1 खाद्य सुरक्षा अधिकारी है वहॉ 2 नमूने व 4 निरीक्षण एवं जहॉ 2 या उससे अधिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी है वहॉ 4 नमूने व 8 निरीक्षण करने का **लक्ष्य आवंटित** कर निर्देशित किया जाता है कि संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्र जैसे अलवर/भरतपुर/धौलपुर में अधिक से अधिक निरीक्षण/नमूनीकरण का कार्य एक्ट के तहत प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित करें। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी किये गये कार्य की सूचना अगले दिन (यानि 11.05.2015 को किये गये कार्य की सूचना 12.05.2015 को प्रातः 11 बजे तक) एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी **fssa.2006@yahoo.com** पर निदेशालय में आवश्यकरूप से प्रेषित करें।

आईसक्रीम, आईसकेन्डी, स्वीटेन्ड कार्बोनेटेडवाटर, दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ आदि में मिलावटी, दूषित व सडे–गले फल इत्यादि खाद्य पदार्थ पाये जाने पर उसमें से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूनीकरण की कार्यवाही कर शेष सामग्री स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाली पायी जाने पर उसे नष्ट करवाने के साथ–साथ संबंधित व्यक्ति/फर्म के विरूद्व खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के तहत कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. बाजार में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन कर निर्माता/उत्पादकों द्वारा बिना दिनांक अंकित किये खाद्य/पेय पदार्थ बेचते हुये पाये जाने पर उनके द्वारा किये जा रहे नियमों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए ऐसे खाद्य/पेय पदार्थो के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु लिये जावें व ऐसी सामग्री के निर्माता/विक्रेता को खाद्य/पेय सामग्री बेचने से रोकने लिए पाबंद किया जावें।

2. प्रतिष्ठित तथा अच्छे स्तर की कम्पनियों के नाम से बाजार में डुप्लीकेट खाद्य/पेय पदार्थों का विक्रय किया जा रहा हो तो उस पर पूर्ण अंकुश लगाया जावें व इस प्रकार की सामग्री विक्रय होते पाये जाने पर उसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत नमूना जांच हेतु लेकर संबंधित सामग्री को सीज कर व्यापारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
3. मिठाईयों की दुकान/रेस्टोरेन्ट/फास्ट फूड सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों की स्वास्थ्य व स्वच्छता सुनिश्चित करें।
4. ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के अधिक खपत को देखते हुये बर्फ निर्माण व विक्रेता स्थान से विशेष रूप से नमूनीकरण कार्य करवा कर स्वच्छ पानी से बर्फ बनाया जाना सुनिश्चित करें।
5. अभिहीत अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि मिलावट की रोकथाम हेतु गठित दल संभाग/जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित रूप से भ्रमण कर नमूनीकरण का कार्य सम्पन्न करायेंगे। गठित दल को निर्देशित किया जावे कि विशेष परिस्थितियों को छोडकर एक प्रतिष्ठान से दो से अधिक नमूने नहीं लिए जावेंगे।

अभियान के दौरान वाहन आदि की अनुपलब्धता या अन्य कोई परेशानी के कारण निरीक्षण/सैम्पलिंग कार्य प्रभावित होता है, तो उसी दिन प्रातः ही दूरभाष पर अवगत करावें, ताकि परेशानी का निदान किया जा सकें।

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिये गये नमूनों में से परीक्षण पर अधिक मात्रा में मानक स्तर के पाये जाते है, जिससे सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग एवं सम्बंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः भविष्य में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा लिये गये नमूनों मे से कम से कम 30 प्रतिशत नमूनें अमानक स्तर के पाये जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

कमांक– एच/एफएसएसए/एफ–92/2015/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा. स्वा.), मुख्यालय।
7. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
8. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर।(**chief.public.analyst@gmail.com**)
9. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर।
10. प्रभारी, केन्द्रीय दल, मुख्यालय।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को ईमेल करते हुए, विभाग की साईड पर भी अपलोड करें।

(डॉ0 बी.आर. मीणा)
आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रपत्र– "अ"

निरीक्षणों का विवरण

ग्रीष्म ऋतु पर विशेष अभियान (11.05.2015 से 25.05.2015)

दिनांकः–................................

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नामः–   जोन/जिलाः–........................

क्रं.सं.	निरिक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	निरिक्षण में पाई गई कमी का विवरण	सेम्पल लिया अथवा नहीं	नष्ट करवाये गये माल का विवरण	विशेष विवरण

हस्ताक्षर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी

प्रपत्र– "ब"

निरीक्षणों का विवरण

ग्रीष्म ऋतु पर विशेष अभियान (11.05.2015 से 25.05.2015)

दिनांकः–................................

खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नामः–   जोन/जिलाः–........................

क्रं.सं.	खाद्य पदार्थ का नाम (मय ब्राण्ड)	नमूना कोड/कमांक	संस्थान का नाम व पूर्ण पता जहां से नमूना लिया गया है	सीज किये गये माल का विवरण	विशेष विवरण

हस्ताक्षर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी